International Research Journal of Human Resources and Social Sciences
Vol. 4, Issue 2, February 2017 Impact Factor- 5.414
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
© Associated Asia Research Foundation (AARF) Publication
Website: www.aarf.asia Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

समावेशी शिक्षा के मुद्दे

डा0 सतनाम सिंह

एम0ए0 इतिहास, एम0एड0

एम0फिल (एजुकेशन)

एम0ए0 राजनीति शास्त्र

पीएच0डी0 (एजुकेशन)

समावेशी शिक्षा भारतीय शिक्षा प्रणाली में अपेक्षाकृत एक नया प्रयास है। जिसका उद्देश्य विद्यालयों के कार्यन्वयन को पहले की अपेक्षा अधिक सार्थक एवं प्रभावशाली बनाना है ताकि सामान्य बालकों के साथ–साथ बाधित बालकों की व्यक्तिगत एवं शिक्षा से सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति भी बेहतर ढ़ग से की जा सकें। अमेंरिका जैसे विकसित राष्ट्र में भी असमर्थ बालकों जिन्हे कि 'भिन्न' या जटिल बालकों की संबा दी गई है को भी विशिष्ट शिक्षा देने के लिए वांछित विशेष प्रावधान करके सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा प्रधान की जा रही है। लेकिन भारत में विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा के लिए गए प्रयास असफल ही सिद्ध हुए है। बहुत अधिक आर्थिक व्यय के बावजूद भी कोई बढ़िया परिणाम प्राप्त नही हुआ। शिक्षा विदों एवं शिक्षा प्रशांसको का दृष्टिकोण भी कभी विशिष्ट भी कभी शिक्षा प्रद्वित तथा कभी समावेशी शिक्षा की तरफ झुकता हटता रहा है। इसलिए आध्यपकों को शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव होती रही है।

अगर हम विस्तार से देखें तो विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान करना एक द्वितीय स्तर की व्यवस्था है जिसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव विद्यार्थियों पर अनिष्टकारी हो सकता है। यूँ भी भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े धर्म निरपेक्ष समतावादी लोकतन्त्र में उन बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा के लिए भेजना अन्याय ही होगा। जिन्हें हमारे साथ होनें, हमारे सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता है। इसलिए विश्व के सभी देशों में समावेशी शिक्षा पर बल दिया जा रहा

है ताकि विशिष्ट बालक भी अन्य बालकों के साथ एक प्रकार की शिक्षा ले सकें उनके साथ रह सकें व अन्तक्रिया द्वारा सीख सकें।

भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान (2002) के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का प्रयास आरम्भ किया है। जिसके अन्तर्गत 6–14 वर्ष के सभी बालकों को शारीरिक, मानसिक, भावानात्मक तथा सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं के बावजूद आठ वर्षीय शिक्षा काल पूरा करने का उद्देश्य रखा गया है। भारत सरकार का शिक्षा सम्बन्धी यह प्रसास अन्य प्रयत्नों से कुछ अलग भी है। इसमें शिक्षा विस्तार के साथ–साथ शिक्षा में गुणात्मक सुधार पर बल दिया गया है। यह योजना एक मिशन के रूप में लागू की गई है। जिसमें सामूहिक प्रयत्नों पर बल दिया गया है। इस योजना के द्वारा 6–14 वर्ष के सभी बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में लाने तथा शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को कार्य रूप लागू करने का सकंल्प लिया गया है।

असमर्थी लोगों के लिए शिक्षा की राष्ट्रीय नीति भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मन्त्री द्वारा 10 फरवरी 2006 को लागू की गई। यह असमर्थी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की एक विस्तृत नीति है। जिसका परम उद्देश्य एक जैसे समावेशी समाज की स्थापना करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्थान है। भारत का संविधान सैद्वान्तिक रूप से सभी व्यक्तियों को समानता, स्वतन्त्रता, न्याय तथा प्रतिष्ठा का अधिकार देकर एक समावेशी समाज की रचना करता है। जिसमें विशिष्ठ व्यक्तियों के अधिकार भी अन्य सामान्य व्यक्तियों की तरह सुरक्षित है।

आज समाज में विशिष्ट लोगों के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन करने तथा उनकी शिक्षा के लिए उपयुक्त माध्यम अपनाने के लिए तैयार है। समावेशी शिक्षा की मूलभूत अवधोरणा यह है कि विशिष्ट बालक भी सामान्य शिक्षा पद्वति से लाभ उठा सकते है। यदि उन्हें अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य करने तथा सीखने के अवसर दिए जाते। ऐसे व्यक्ति उपयुक्त अवसर दिए जाने पर समाज में भी सन्तोष पद समायोजना कर सकने में सफल हो सकते है। उन्हें केवल वांछित सहायक सामग्री, उपकरणों तथा सकारात्मक अभिवृति के साथ–साथ व्यावसायिक पुनर्वास सम्बन्धी साधनों की आवश्यकता होती है।

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसख्या में 2.19 करोड़ लोग असमर्थ व्यक्ति है। जो कुल जनसंख्या का 2.13 प्रतिशत है। कुल असमर्थी लोगों में से 75 प्रतिशत लोग गाँवों में रहते है। असमर्थी व्यक्तियों मे से 49 प्रतिशत शिक्षित है तथा कुल असमर्थी लोगों में से 34 प्रतिशत नौकरी पेशा में है। मुख्य बात यह है कि असमर्थी व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास की उपेक्षा अब अधिक बल उनके सामाजिक पुर्नवास पर दिया जा रहा है और वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता भी अधिक है।

प्रत्येक बच्चे को अपनी वृद्धि, विकास और अपनी व्यक्तिगत योग्यता के इष्टतम विकास के लिए शिक्षा प्राप्त करने का पूरा–पूरा अधिकार है। और इस अधिकार को पाने का रास्ता है 'समोवशन' । परन्तु समावेशी शिक्षा पद्वित एक कठिन लक्ष्य है। इसमें हमें बहुत से आवश्यक सामाजिक एवं आर्थिक समायोजन करने की आवश्यकता होती है। सभी विशिष्ट बालक एक समान नही होते। वे न केवल अपनी शारीरिक क्षमता एवं असमर्थता के स्तर पर भिन्न होते है, बल्कि वे अपने व्यक्तित्व को लेकर भी भिन्न होते है। इन भिन्नताओं के देखते हुए उनकी आवश्यकताओं में भी अन्तर होता है।

1. **समावेश को वास्तविक बनाने के कानूनी मुद्दे (2006–11) विकलांगता एवं पुनर्वास कार्य योजना :–** इस कार्य योजना के अन्तर्गत सभी असमर्थी बालकों को समान अधिकार एवं सुअवसरों का लाभी उठाने का पूरा–पूरा अध्किार है। इन बच्चों के जीवन में, धार्मिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक प्रयत्नों के द्वारा सुधार लाने के लिए सेवाएँ उपलब्ध करवाना इस योजना के अन्तर्गत आता है। समुदाय आधारित पुनर्वास को बढ़ावा देने में भी समावेश बहुत सहायक हो सकता है। असमर्थ बालकों से सम्बन्धित विकास, मापन, प्रयोग की योजनाओं को बढ़ावा देना इन बच्चों के अधिकारों एवं अवसरों को सुरिक्षत रखने में कारगर सिद्ध हो सकता है। विभिन्न समुदायों एवं योजनाओं का निर्माण करने वालों के बीच सांमजस्य बनाना अति आवश्यक है।

1. असमर्थ व्यक्ति अधिनियम 1995 :– यह अधिनियम असमर्थ व्यक्ति के अधिकारो को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है।

2. समान अवसरों अधिकारों के सरंक्षण तथा पूर्ण भागीदारी का अधिनियम

3. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992.

4. असमर्थ बालको एवं व्यस्कों की समावेशी शिक्षा हेतू क्रियात्मक योजना (2005)

(i) यह सुनिश्चित करना कि किसी भी बच्चे को मुख्य धारा में शिक्षा के लिए मना न किया जाए।

(ii) यह सुनिश्चित करना कि किसी भी बच्चे को असमर्थता के आधार पर किसी भी आंगनवाड़ी या विद्यालय से बाहर नही निकाला जाए।

(iii) यह सुनिश्चित करना की सभी अध्यापक जिन्हें समोवशन के लिए प्रशिक्षित किया गया है। उन्हें मुख्याधारा एवं समोवशन के लिए प्रशिक्षित किया गया है। उन्हें मुख्याधारा एवं समावेशन से सम्बन्धित सपूर्ण जानकारी हो।

(iv) सरकारी छात्रावास में असमर्थ लड़कियों के दाखिले के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को अभिप्रेरित करना।

(v) गम्भीर रूप से मानसिक असमर्थता के बालकों को घर पर अधिगम प्रदान करने की व्यवस्था करना।

(vi) जिन बच्चों को व्यक्तिगत अधिगम गति की आवश्यकता है। उनके लिए दूरवतों शिक्षा का प्रबन्ध करना।

(vii) व्यवसाय आधारित प्रशिक्षण पर बल देना उपकार की अपेक्षा, इन बच्चों के विकास पर बल देना ।

2. समावेशन को वास्तविक बनाने के सामाजिक मुद्दे :–

1. मौलिक अधिकार 'समानता का अधिकार' का पूर्ण उपयोग।

2. सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना ।

3. सभी बच्चों के जीवन को सुविधाजनक बनाए जाने के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना।

4. व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रत्यय को समझना एवं उसका स्वागत करना।

5. असमर्थ बालकों के सर्वागीण विकास को सुनिश्चित करना।

6. असमर्थ बालकों के उत्थान के लिए परिवार समाज एवं विद्यालय को प्रोत्साहन करना।

7. विशिष्ट विद्यालयों में मिलने वाली सेवाएँ सामान्य विद्यालय उपलब्ध करना क्योंकि ऐसी कोई सेवा नही है जो सामान्य विद्यालयों में उपलब्ध ना हो सकें।
8. शोध कार्यो ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे समावेशी शिक्षा प्रणाली बौद्धिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते है।
9. यदि उपयुक्त सहयोग दिया जाए तो समावेशी शिक्षा प्रणाली शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए अधिक योगदान दे सकती है।

3. समावेशी शिक्षा को वास्तविक बनाने के आर्थिक मुद्दे :–

1. प्रत्येक बालक को उसके व्यावसायिक कौशलों के विकास में सहायता करना ।
2. सभी व्यक्तियों को कार्य करने के समान अवसर देना ।
3. विशिष्ट बालकों को यह विश्वास दिलाने में सहायता करना कि वे किसी व्यवसाय में स्वंय का समायोजन करने की क्षमता रखते है।
4. विशिष्ट बालकों को उनके विद्यालय के वर्षों में अपने काम कार्य परिस्थितयों तथा सहभागियों के साथ समायोजन करने का प्रशिक्षण देना।

निष्कर्ण

शिक्षा को विशिष्ट शिक्षा की परिधि में बांध कर रखना ठीक नही है। यह बहुत मंहगी व्यवस्था है। इसकी पहुँच अधिक दूर तक नही है। इसके अतिरिक्त बच्चों को अलग रखना उनमें भेदभाव करना है और यह मानव अधिकारों के पक्ष में भी नही है। समावेशी शिक्षा आज के युग की नवीन व्यवस्था है। जो असमर्थ बालकों का पक्ष लेते हुए उन्हें सामान्य विद्यालय में प्रवेश देने तथा शिक्षा ग्रहण करने की बात करती है। समावेशी शिक्षा की सफलता अध्यापकों एवं कक्षा में किए गए प्रयोग पर निर्भर करती है। और यह तभी सम्भव हो सकता है। जब हम सब एक जुट होकर आगे बढ़े और कार्यक्रम को सफल बनाए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

भारतेन्दु, सत्यनारायण दुबे : प्राचीन भारतीय धर्म और दर्शन, अनुभव पब्लिशिंग हाऊस, इलाहाबाद, 2010

चौबे, सरयू प्रसाद तथा चौबे, अखिलेश : भारतीय शिक्षा, उसकी समस्याएं, प्रवृत्तियां और नवाचार ईगल बुक्स इन्टरनेशनल, मेरठ, 1995

चटर्जी, पी.सी. : धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए धर्म निरपेक्ष मूल्यवान मनोहर, 1995

डीवी, जान : डेमोक्रेसी एण्ड एजूकेशन शिक्षा और लोकतन्त्र ग्रन्थ शिल्पी–2004

ओड़, एल0के0 : शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1983

उपाध्याय, बलदेव : भारतीय दर्शन, शारदा मन्दिर, रवीन्द्रपुरी, वाराणसी, 1971

उपाध्याय, रमेश व संज्ञा : यूटोपिया की जरूरत, शब्द संधान, शकरपुर, दिल्ली, 2002

उपाध्याय, रमेश व संज्ञा : शिक्षा और भूमण्डलीकरण, शब्द संधान, नई दिल्ली, 2008

राय, अरूंधति : न्याय का गणित (अनु. जितेन्द्र कुमार) राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 2005

राजपूत, जगमोहनसिंह : शैक्षिक परिवर्तन का यथार्थ, विद्या विहार, नई दिल्ली, 2004

राय, विजय बहादुर : उत्तर वेदिक समाज एवं संस्कृति, भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी, 1966

दयानन्द, महर्षि : सत्यार्थ प्रकाश–आर0एस0 साहित्य प्रचार ट्रस्ट, खारी बावली, दिल्ली, 2000

डीवी, जॉन : डेमोक्रेसी एण्ड एजूकेशन, दि फ्री प्रेस, न्यूयार्क, मैकमिलन, लन्दन, 1968

दूबे, अभय कुमार : भारत का भूमण्डलीकरण, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, दिल्ली, 2003

द्विवेदी, कपिलदेव : वैदिक दर्शन, विश्वभारती, अनुसंधान परिषद, ज्ञानपुर (भदोही), 2004

गुप्त, विश्व प्रकाश : दयानन्द सरस्वती, व्यक्ति एवं विचार, राधा प्रकाशन नई दिल्ली

गुप्ता, एस.पी. : भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2004

गुप्ता, एन.एल. : मूल्यपरक शिक्षा और समाज, समान पब्लिकेशन, नई दिल्ली–2000

जैन. नीरज : वैश्वीकरण या पुनः औपनिवेशीकरण, गार्गी प्रकाशन, सहारनपुर, जनवरी, 2002

जोशी, आर.एस. : आदिवासी समाज और शिक्षा, ग्रंथ शिल्पी, लक्ष्मी नगर, दिल्ली, तृतीय संस्करण, 2004

जाखड़, दिलीप : मानवाधिकार, युनीवर्सिटी बुक हाऊस प्रा0लि0, जयपुर, 2005

कबीर, हुमायूँ : ''इण्डियन फिलासफी ऑफ एजूकेशन'' बॉम्बे, एशिया

कबीर, हुमायूँ : स्वतन्त्र भारत में शिक्षा, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, 1967

किशोर, राज : समाजवाद का भविष्य, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, 2002

कृष्ण कुमार : प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति, श्री सरस्वती सदन, नई दिल्ली, 1999

माथुर, वी.एस. : शिक्षा और उसका भविष्य, आर्य बुक डिपो, दिल्ली, 2004

मुखर्जी, हिमांशु भूषण : ''एजूकेशन फार फुलनैस'' एशिया पब्लिशिंग हाऊस, नयी दिल्ली, बम्बई–1962